रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24122021-232117 CG-DL-E-24122021-232117

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5010] No. 5010] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 24, 2021/पौष 3, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 24, 2021/PAUSA 3, 1943

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5401(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (ज) के उप-खंड (iiक) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, 'इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण प्राप्ति' को प्रतिभूतियों के रूप में घोषित करती है।

स्पष्टीकरण-इस अधिसूचना के प्रयोजना के लिए,--

'इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण प्राप्ति' से उक्त अधिनियम की धारा 31 के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार, अंतर्निहित भौतिक स्वर्ण की जमा के आधार पर, जारी एक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति अभिप्रेत है।

[फा. सं. 1/16/एसएम/2021]

आनंद मोहन बजाज, अपर सचिव

7566 GI/2021 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2021

S.O. 5401(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iia) of clause (h) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares "Electronic Gold Receipt" as securities for the purpose of the said Act

Explanation – For the purpose of this notification,-

"Electronic Gold Receipt" means an electronic receipt issued on the basis of deposit of underlying physical gold in accordance with the regulations made by the Securities and Exchange Board of India under section 31 of the said Act.

[F. No. 1/16/SM/2021]

ANAND MOHAN BAJAJ, Addl. Secy.